

| तारीख हुकम | हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज<br>सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी लूणी जिला जोधपुर<br>राजस्व विविध प्रार्थना पत्र संख्या 23/2026 (2026/90)<br>अनवान जगदीश वगैरा बनाम पपाराम वगैरा<br>प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम   | नम्बर व<br>तारीख<br>अहकाम<br>जो इस<br>हुकम की<br>तामील में<br>जारी हुए |
|------------|---|--|
| 17.04.2026 | <p>पत्रावली आज पेश हुई। पत्रावली के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार से है कि प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण की सहखातेदारी की कृषि भूमि वाके राजस्व ग्राम फीच कलां तहसील लूणी जिला जोधपुर में खसरा संख्या 856 की कुल रकबा 10.6756 हैक्टेयर आयी हुई स्थित है जिस पर प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण बहैसियत सहखातेदार मालिक काबिज हैं। प्रार्थीगण उक्त कृषि भूमि के पूर्व खातेदार स्व० मांगीलाल के वारिसान हैं एवं प्रार्थीगण का प्रत्येक का उक्त खसरे में 1/162 वां हिस्सा हैं जो कि वर्तमान राजस्व रेकर्ड जमाबन्दी में भी इन्द्राज किया हुआ है, प्रार्थीगण के साथ ही प्रत्येक अप्रार्थीगण का हिस्सा भी राजस्व रेकर्ड जमाबन्दी में इन्द्राज किया हुआ है। मूल वाद अस्थाई निषेधाज्ञा बहक प्रार्थीगण विरुद्ध अप्रार्थीगण इस आशय की जारी की जावें कि वे राजस्व ग्राम फीच कलां तहसील लूणी जिला जोधपुर में स्थित खसरा संख्या 856 की कुल रकबा 10.6756 हैक्टेयर में बिना विभाजन करवाये किसी प्रकार से विशेष भू भाग पर निर्माण इत्यादि नहीं करें एवं न ही विशेष भू भाग का बेचान हस्तान्तरण इत्यादि करें एवं राजस्व रेकर्ड एवं मौके की यथास्थिति कायम रखने का निवेदन किया है।</p> <p>चुंकी मूल वाद संख्या 28/2026 (2026/93) अनवान जगदीश वगैरा बनाम पपाराम वगैरा वाद अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में दिनांक 17.04.2026 को प्राथमिक डिक्री आदेश मय डिक्री पर्चा जारी किया गया है। ऐसी स्थिति में प्रार्थना पत्र में अब कोई कार्यवाही अपेक्षित होना उचित प्रतीत नहीं होता है। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम स्वीकार किया जाता है।</p> <p>अतः प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण की सहखातेदारी की कृषि भूमि वाके राजस्व ग्राम फीच कलां तहसील लूणी जिला जोधपुर में खसरा संख्या 856 की कुल रकबा 10.6756 हैक्टेयर में उभयपक्षकारान मूल वाद के निस्तारण तक राजस्व रेकर्ड व मौके की यथास्थिति बनाये रखे। आदेश लिखवाया जाकर सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।</p> <p style="text-align: right;">(हंसमुख कुमार)</p> <p style="text-align: center;">—</p> <p style="text-align: center;">सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी<br/>उपखण्ड अधिकारी लूणी</p> |  |